सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड

अपार शक्तेः स्त्रोतः गंगेयम्

सिंचाई बढ़ाएं खुशहाली लाएं।

योजना का नाम –: उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला विकास खण्ड मे काली नदी के दॉये पार्श्व मे स्थित ग्राम निगालपानी की काली नदी से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना।

अनुमानित लागत : रु0 ~~1661.88~~ लाख
1594.62

वर्ष : 2024–25

सिंचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़।

सिंचाई खण्ड, धारचूला।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-।।)
सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

पत्रांकः-　　　/सीई (स्तर-।।)/ई-14　　　　दिनांकः-.　　　.2025

-:कार्यालय ज्ञापः-

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित Flood management and Border Area Programme (FMBAP) में River Management & Border Area RMBA) "Component"के अन्तर्गत Estimate for flood protection work along right bank of kali river at Nigalpani in block Dharchula Distt- Pithoragarh..योजना लागत रू0 1594.62 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ चौरानवे लाख बासठ हजार मात्र) को **लेखाशीर्षक 4711-01-103-01-02-14** में निर्माण कार्य पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के साथ एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

1. योजना के कियान्वयन के समय FMBAP की गाईड लाईन व निर्दिष्टियों का पालन करते हुए आवंटित बजट का उपभोग उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश संख्या ई0-पत्रावली संख्या 82347/IRR 2-1/1.2/1/2025-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department1 /283466/2025 दिनांकः 19-03-2025 के द्वारा निर्गत प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन किया जायेगा।
2. स्वीकृति योजना में प्राविधानित राशि से किसी भी दशा में व्ययाधिक्य न हो।
3. स्वीकृति योजना के स्वरूप में किसी भी प्रकार के फेरबदल से पहले आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर लें।
4. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण उत्तरदायी होंगे।
5. योजना में ली गई कार्यों की दरों हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
6. भारत सरकार की टी0ए0सी0 में स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध भिन्न धनराशि का प्राक्कलन की टी0एस0 इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि उक्त धनराशि का प्राक्कलन आगामी विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा स्वीकृत करा लिया जाय।

उपरोक्त स्वीकृति इस कार्यालय के प्राक्कलन पंजिका के कमांकः- 04/सीई(स्तर-।।)/ वर्ष 2025-26 में पंजीकृत की जाती है।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)

पत्रांकः-　　　/सीई(स्तर-।।)/ई-14/तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
01-महालेखाकार लेखा एवं हकदारी महालेखाकार भवन, पो0 आफिस-सब पोस्ट मास्टर पैट्रोलियम संस्थान कौलागढ़, जिला-देहरादून।
02-प्रमुख अभियन्ता (बजट अनुभाग) माधो सिंह भण्डारी भवन, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
03-अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल पिथौरागढ़ को उनके पत्रांकः- 968/सिकामपि/पी-2 दिनांकः 03-04-2025 के सन्दर्भ में स्वीकृत योजना की प्रति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)

IRRIGATION DIVISION DHARCHULA

INDEX

No.	CONTENTS	PAGE No.
1	Check List for Preliminary examination	01-02
2	Allotment Letter G.O.	03-05
3	Report By A.E., E.E. & S.E.	06-07
4	Certificate To Be Furnished By The Superintending Engineer	08
5	Drill Performa BY S.E & E.E.	09-10
6	Salient Features	11
7	Statement I -Showing Damages And Relief Measures Before Completion Of scheme	12
8	Statement Of Average Annual Losses For The Year	13
9	Statement II -Of Flood Damages And Relief Measures After Completion Of scheme	14
0	Statement III Benefit Cost Analysis	15
1	Abstract Of Project	16
2	Silt Factor , Design & Calculation	17-21
3	Drawing Of proposed Work	22
4	General Abstract Of Cost	23
5	O- Miscellaneous statement	24
6	Abstract Of Cost (AOC)	25-26
7	Detail of measurement (DOM)	27-28
8	SOR Rates & Analysis of rates	29-41
9	Circle rates	42-45
0	GFCC, Patna Approvals letter	46-48
1	Uttarakhand State TAC Minutes of Meeting	49-51
2	Site Inspections reports	52-53
3	Index Map	54
4	Google images of site	55
5	Catchment area plan	56
6	Contour plan	57
7	Sites images/ Photographs	58
8	L & X -Sections	59-61
9	Annexure/ References letters	

IRRIGATION DIVISION DHARCHULA

ESTIMATE FOR FLOOD PROTECTION WORK ALONG RIGHT BANK OF KALI RIVER AT NIGALPANI IN BLOCK DHARCHULA ,DISTRICT PITHORAGARH

Check List for Preliminary Examination of Flood Protection/Anti-erosion Schemes

S.N.		Particulars	YES/NO
1		Has the Scheme formulated in accordance with instructions/guidelines issued so far by G.F.C.C. and T.A.C.?	Yes
2		Has the toposheet prepared by Survey of India, showing the catchment area of the river/nala at scheme site, been enclosed? If not, why?	Yes
3		Have the following information/data been furnished and discussed in the Detailed Project Report?	
	(a)	Flood Frequency for which the scheme has been designed.	50 Years
	(b)	Broad discussions of the problem comprising history of past floods,frequency, hydrology of the stream, tendency of flow, mode of observation of gauge/discharge and works executed in the past with their results obtained.	Yes
	(c)	Inspection details of the area affected/protected, any scheme in progress or proposed in vicinity.	Yes
	(d)	General discussions on viable alternatives and justification for adopting this proposal out of them.	Yes
	(e)	Basis of criteria/rates adopted for evaluating the property damaged/protected to arrive at Benefit Codt ratio duly supported by flood damage data for past ten years, duly certified by revenue authorities.	Yes
	(f)	Surveys conducted in formulation of the scheme with description of designed features.	Yes
	(g)	Construction Programme.	Yes
	(h)	Recommendations	Yes
4		Have the Index map and layout plan to scale, showing past flood bank line, contours and spot levels, (with reference to level book,surveyed by, date of survey, bench marks etc.) area affected and layout of proposed work duly approved been enclosed ?	Yes
5		Have the L-Section and X-Sections of the river/nala at suitable intervals indicating bed levels, G.L., formation level, hydraulic gradients, design H.F.L. (with reference to level book etc.) duly approved been enclosed ?	Yes
6		Have the Design/working drawings, supported by design calculations, duly approved been enclosed?	Yes
7		Has the scheme formulated after superimposing on Satellite imageries maps? If not why?	Yes
8		Has the surveys conducted with latest digital method?	Yes
9		Whether silt factor has been worked out/examined by I.R.I.,Roorkee? If Yes, mention in full, if not quote reason.	Yes

10		Have the gauge/discharge sites been established to observe actual discharge? Are calculations for design flood enclosed?	No
11		Whether this project is original or revised? If revised, quote reason for revising it with previous references.	Original
12		Whether free board is kept as per actual water depth or as per BIS Code? Mention Water depth/BIS Code as the case may be.	Actual Water Depth
13		Are the sizes of proposed C.C. blocks, wire crates and boulders in abutment pitching as per BIS Code? Mention respective Code No..	Yes
14		Is it an Inter-State scheme? If so, has the concurrence of the concerned authority obtained and discussed in the project?	No
15		Has the concurrence from the departments like Railways, National Highways, Forests, etc. been obtained, if they are affected?	No
16		Are individual detailed reports by E.E., S.E. and C.E. enclosed?	Yes

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(बजट अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या : 203 /प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1(आवंटन)/कैम्प   दिनांक: 20 मार्च, 2024

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश ई0 पत्रावली सं0 82347/IRR 2-1/1.2/1/2025-II-2-Irrigation and Minor Irrigation Department/1/283466/2025, दिनांक 19.03.2025 द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 100 प्रतिशत केन्द्रपोषित Flood Management and Border Areas Programme (FMBAP) में "River Management & Border Areas (RMBA)" Component" के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ जिले के धारचूला ब्लॉक में काली नदी के दाहिने किनारे पर प्रस्तावित 15 बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की लागत रू0 17057.64 लाख (रू0 एक सौ सत्तर करोड़ सत्तावन लाख चौसठ हजार मात्र) पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में स्वीकृत प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 1250.00 लाख (रू0 बारह करोड़ पचास लाख मात्र) का आवंटन प्रमुख अभियन्ता के निर्वतन पर रखते हुये किया गया है ।

अत: उक्त शासनादेश द्वारा आवंटित धनराशि रू0 1250.00 लाख का आवंटन मुख्य अभियन्तावार/खण्डवार/योजनावार/मदवार सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी के Zero Balance Subsidiary Account में निम्नानुसार किया जाता है:–

क्र0 सं0	मद का विस्तृत विवरण/ मुख्य अभियन्ता/खण्ड/योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (लाख रू0 में)	आवंटित धनराशि (करोड़ रू0 में
क	20/4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01–बाढ़ नियंत्रण, 103–सिविल कार्य, 01–केन्द्र सहायतित योजना, 02–नदी प्रबन्धन एवं सीमान्त क्षेत्र कार्यक्रम (100 प्रतिशत के0स0), 14–केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अन्तरण (4711–01–103–01–02–14)		
	मुख्य अभियन्ता स्तर–II, अल्मोड़ा		
	सिंचाई खण्ड, धारचूला		
1	Estimate forflood protection work along right bank of kali river at Go-Ghatibagad in block DharchulaDistt-Pithoragarh.	2178.45	1.515
2	Estimate forflood protection work along right bank of kali river at TallaChharchhum in block DharchulaDistt-Pithoragarh.	2105.14	1.505
3	Estimate for flood protection work along right bank of kali river at MallaSeepu in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	2208.61	1.540
4	Estimate for flood protection work along right bank of kali river at Kalika in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	2279.11	1.500
5	Estimate for flood protection work along right bank of kali river at Nigalpani in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	1661.88	1.000
6	Estimate for strengthening work of flood protection work along right bank of kali river at taxi stand in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	1273.11	1.060
7	Estimate for strengthening of flood protection work along right bank of kali river at Gothi in block DharchulaDistt-Pithoragarh.	1151.75	0.920
8	Estimate for strengthening of flood protection work along right bank of kali river at Baluwakote in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	1146.65	0.915
9	Estimate for strengthening of flood protection work along right bank of kali river at NayaBastiSeepuTalla in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	568.93	0.475

मद का विस्तृत विवरण/ मुख्य अभियन्ता/खण्ड/योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (लाख रू0 में)	आवंटित धनराशि (करोड़ रू0 में
ate for flood protection work along right bank of kali at MallaChharchhum in block DharchulaDistt- ragarh.	972.26	0.810
ate for flood protection work along right bank of kali at Dhungatoli in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	464.11	0.3875
ate for flood protection work along right bank of kali at Malla-Kimkhola in block DharchulaDistt- ragarh.	328.11	0.2725
nate for flood protection work along right bank of kali at Kimkhola in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	429.13	0.3575
nate for flood protection work along right bank of kali r at JauljibiDuti Inter College in block DharchulaDistt- oragarh.	207.92	0.1725
mate for flood protection work along right bank of kali r at JauljibiDuti in block DharchulaDistt- Pithoragarh.	82.48	0.0700
Total	**17057.64**	**12.50**

(रूपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र)

परोक्त आवंटित बजट का उपभोग शासनादेश ई0 पत्रावली सं0 82347/IRR 2-1/1.2/1/2025-II-2- a and Minor Irrigation Department/1/283466/2025, दिनांक 19.03.2025 में उल्लिखित निम्न शर्तों न्धों के अन्तर्गत किया जायेगा :-

क्त धनराशि विषयगत कार्य हेतु Flood Management and Border Areas Programme 3AP) में "River Management & Border Areas (RMBA)" Component वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही है।

ानुसार अनुमोदित/स्वीकृत धनराशि से ही कार्य समयबद्ध/गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराया जाना श्चित किया जायेगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

त सरकार द्वारा स्वीकृत Flood Management and Border Areas Programme (FMBAP) में "River nagement & Border Areas (RMBA)" Component के अन्तर्गत बाढ़ सुरक्षा योजनाओं से सम्बन्धित श-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

त सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग (Flood nagement Wing) के पत्र संख्या-15014/2024-o/o DC(FM)-MOWR/I/104827/2024 दिनांक 12.2024 तथा पत्र दिनांक 14.03.2024 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। भारत सरकार के र्गत दिशा-निर्देशों के इतर कोई कार्य किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता म्मेदार होगें।

र्य के आगणन में सम्मिलित की जा रही जी0एस0टी0 देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर स्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय, उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर न्नता हेतु विभाग स्वयं जिम्मेदार रहेगें।

IOU के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 एवं शासनादेश i0-426/XXVII(7)/2008 दिनांक 22.02.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ार्य का मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितना मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

ार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से आवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(5)

विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

प्रशासनिक स्वीकृति हेतु शा0सं0 14910/XXVII(7)/E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्ता नियन्त्रण का कार्य अवश्यमेव करा लिया जाय।

योजना कियान्वयन में Cost Effectiveness के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

योजना कियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हो। अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।

उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017(समय-समय पर यथासंशोधित) के सुसंगत प्राविधानों, तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का पूर्ण रुप से पालन किया जाय। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219/2006 दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मृदा परीक्षण एवं भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 तक करना सुनिश्चित किया जाय। कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 एवं समय-समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों एवं नियोजन विभाग के शासनादेश दिनांक 01.12.2022 का भी पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही वित्त विभाग के शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

- कार्य की समयवद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।
- आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण PFMS के माध्यम से किया जायेगा ।

(सुभाष चन्द्र)
प्रमुख अभियन्ता

पत्रांक: 203/प्र0अ0/बजट/बी-1/तदिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

सचिव (सिंचाई), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

वित्त नियन्त्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून ।

मुख्य अभियन्ता स्तर-II, अल्मोड़ा ।

अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, पिथौरागढ़ ।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, धारचूला ।

20-3-25

(डी0एस0 कछवाहा)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता

Year 2024-25 ... budget distribution ... CCL CSS-CAD ... budget distribution of CSS ...

सिंचाई कार्यमण्डल, पिथौरागढ़
सिंचाई खण्ड, धारचूला

जना का नामः– उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला विकास खण्ड मे काली नदी के दॉये पार्श्व मे स्थित ग्राम निगालपानी की काली नदी से सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना।

आख्या

जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड राज्य का सीमान्त एवं पर्वतीय जनपद है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 7218 वर्ग किमी0 है। इस जनपद की सीमा नेपाल से मिलती है। जनपद की पूर्वी सीमा पर बहने वाली काली नदी भारत नेपाल सीमा का निर्धारण करती है। नदी के पूर्वी छोर पाल सीमा स्थित है। नदी का उद्गम क्षेत्र हिमालय है।

ग्राम निगालपानी जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़–धारचूला मोटर मार्ग पर जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से 90 किमी0 की दूरी पर काली के दॉये पार्श्व में स्थित है। वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2021–22 में हुई अतिवृष्टि के कारण ग्राम निगालपानी में कई मकान एवं भूमि काली के तीव्र कटाव से बह गये तथा भविष्य में भी काली नदी के कटाव से ग्राम निगालपानी को खतरा बना हुआ है। काली नदी के दॉये पार्श्व ाम निगालपानी की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य किया जाना अति आवश्यक है।

वर्ष 2016–17 मे नेपाल सरकार द्वारा काली नदी के बॉये पार्श्व पर नेपाल राष्ट्र की ओर धारचूला से गलाती तक दार्चुला ग्राम मे लगभग मी0 लम्बाई मे आर0सी0सी0 कंक्रीट से निर्मित सुरक्षा दीवार, आर0सी0सी0 दीवार के पीछे सडक एवं दीवार के आगे कन्टीन्यूअस सी0सी0 एवं एप्रन के ऊपर लगभग 15 मी0 मध्य से मध्य अतिरिक्त सी0सी0 ब्लॉक/स्पर का निर्माण कार्य कराया गया।

जौलजीबी से गुंजी तक अपनी ओर (नेपाल राष्ट्र की ओर) मकानो एवं भूमि बचाये जाने हेतु अन्य स्थानो मे वायर क्रेट के स्पर बनाये गये जिससे नदी का रुख भारतीय तट की ओर स्थित ग्रामो, भारतीय सुरक्षा विभाग एवं पूर्व मे बनी सुरक्षा दीवारो की ओर हो गया है। वर्तमान मे ीय तट के ग्रामो एवं भूमि को नदी के कटान से बचाये जाने हेतु सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने अति आवश्यक है। दिनांक 28.10.2020 एवं .2020 को सिंचाई विभाग एवं भारतीय सुरक्षा विभाग द्वारा काली नदी के किनारे नेपाल राष्ट्र द्वारा किये गये कार्यो का स्थलीय निरीक्षण गया। निरीक्षण के दौरान निर्णय लिया गया कि भारतीय तट को सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु ग्राम निगालपानी की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा किया जाना अति आवश्यक है।

उत्तराखण्ड राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति की दि0 13.07.2022 को सम्पन्न हुई 42वीं बैठक में इस योजना को टी0ए0सी0 सं0 ि0/टी0ए0सी0/42/15 द्वारा अनुमोदित किया गया है। टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित योजना मे 440 मी0 लम्बाई में 8.90 मी0 ऊँची सी0सी0 एम20 में सुरक्षा दीवार, सुरक्षा दीवार के आगे पूरी लम्बाई मे 5.00X3.50X2.50 मी0 साइज के सी0सी0 ग्रेड एम015 के 2 सं0 एप्रन एवं 4.00X4.00X2.00 मी0 साइज के सी0सी0 ग्रेड एम020 में मध्य से मध्य 15.00 मी0 की दूरी पर स्टड ब्लॉक का प्राविधान किया था। टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदन के पश्चात् योजनाओ को कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 2/EnC/IDUK/Planning/ P-27(Yozna) dated July 28, 2022 द्वारा चैयरमेन, जी0एफ0सी0सी0, जल शक्ति मंत्रालय, भारत र, सिंचाई भवन, पटना को प्रेषित किया गया था।

भारत सरकार, जलशक्ति मंत्रालय, जलसंशाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, सिंचाई भवन, पटना के संख्या File No.T-12/6/2022-MP-II दिनांक 19.08.2022 द्वारा योजनाओं में आपत्तियॉं लगायी गयी थी। जी0एफ0सी0सी0 द्वारा ाईन के अर्न्तगत एप्रन ब्लॉक एवं सुरक्षा दीवार का सेक्शन आवश्यकता से अधिक लिये जाने एवं सैक्शनों को Safety Parameters को में रखते हुए Economical बनाये जाने हेतु आपत्ति लगायी गयी थी। दिनांक 12.10.2022 से 14.10.2022 तक श्री शेर सिंह, सदस्य ना), एवं शमसुल हक, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ धारचूला से जौलजीबी तक 21 स्थलो का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त योजनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव दिये गये।

आपत्तियों के निराकरण एवं जी0एफ0सी0सी0 द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान दिये गये सुझावों के क्रम में प्रस्तावित योजना मे 440 मी0 ई में कुल 9.40 मी0 ऊची सुरक्षा दीवार का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। कुल 9.40 मी ऊँचाई मे नदी तल से नीचे 2.00 मी0 गहराई एवं तल से ऊपर 3.00 मी0 सी0सी0 एम0 20, 2.90 मी0 ऊँचाई मे आर0आर0 1:4 एवं शेष 1.50 मी0 ऊँचाई मे वायर क्रेट का प्रविधान किया है। सुरक्षा दीवार के आगे पूरी लम्बाई में 3.50X5.00X2.00 मी0 साइज के सी0सी0 ग्रेड एम015 के एप्रन ब्लॉक एवं 4.20X4.20X2.00 साइज के सी0सी0 ग्रेड एम015 मे मध्य से मध्य 15.00 मी0 की दूरी पर स्टड ब्लॉक का प्राविधान किया गया था।

ोजना की लागत एवं लाभ–लागत अनुपात :–

इस योजना के निर्माण से 130 भवनों एवं 7.0 हैक्टे. भूमि का बचाव हो सकेगा तथा लगभग 400 जनसंख्या लाभान्वित होगी। योजना का ाठन पी0डब्लू0डी उत्तराखण्ड की ऑनलाइन स्वीकृत ब्लॉक धारचूला की दरों के अनुसार वर्ष 2022–23 दिनांक 03.10.2022 व वर्ष 2024–25 िनांक 24.08.2024 की अनुसूची के आधार पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी सम्मिलित करते हुए किया गया है। योजना की अनुमानित लागत रु0 ~~481.88~~ 1594.62 लाख एवं लाभ–लागत अनुपात ~~1.26 :1~~ 3.52:1 आंका गया है।

ंस्तुति :–

उक्त वर्णित बिन्दुओं से स्पष्ट है कि योजना अत्यन्त लाभप्रद एवं महत्वपूर्ण है। स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधियों एवं भारतीय सुरक्षा विभाग ारा भी यथावश्यक कार्यवाही हेतु मांग की गई है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए यह योजना तैयार की गई है। अतः यह योजना शासनादेश ंख्या ई0 पत्रावली संख्या 82347/IRR 2-1/1.2/2025-II-2Irrigation and Minor Irrigation Department /1/283466/2025 दिनांक 19. .2025 द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत केंद्र पोषित Flood Management and Border Areas Programme (FMBAP) & "River Management & Border Areas (RMBA) Component" के अर्न्तगत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसे तकनीकी स्वीकृति ु प्रबल संस्तुति सहित प्रेषित है।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड–प्रथम, धारचूला

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड धारचूला

अधीक्षण अभियन्ता
सिंचाई कार्यमण्डल, पिथौरागढ़।